प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 19.05.2020 को डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में लखनऊ के व्यापारियों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुयी, जिसमें मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–924/2020/सीएक्स–3 दिनांक 18 मई, 2020 के अनुपालन में बाजारों के खोलने हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा की गयी।

यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए तथा शासन के निर्देशों के अनुसार बाजारों एवं दुकानों को खोलने की तैयारी हेतु दिनांक 19 व 20 मई, 2020 को समस्त प्रतिष्ठान स्वयं तथा यथानुसार व्यापार मण्डल की सहायता से अपने प्रतिष्ठान के अन्दर एवं बाहर बाजार का सैनेटाइजेशन कर लें तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय/नगर निगम से भी सैनेटाइजेशन हेतु समन्वय कर लिया जाए।

दिनॉक 21 मई, 2020 से निम्न व्यवस्था लागू रहेगी :–

(1)– **कन्टेनमेन्ट जोन** में समस्त गतिविधियां बन्द रहेंगी(मात्र स्वास्थ्य/पुलिस/स्वच्छता/डोर स्टेप डिलीवरी के कर्मचारियों का आवागमन रहेगा)।

(2)– **बफर जोन–** कन्टेनमेन्ट जोन की परिधि से 250 मीटर के बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। शेष सारी दुकानें बन्द रहेंगी। **यहां आवश्यक वस्तुओं का तात्पर्य** दवा, दूध, फल, सब्जी, ब्रेड, राशन की दुकान से है। ऐसी दुकानें जिसमें उक्त आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ और भी बिकता है, उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3)– साय 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक आवश्यक गतिविधियों एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त आवागमन निषिद्ध रहेगा। **यहॉ आवश्यक दुकानों का तात्पर्य** ऐसी दवा की दुकानों/पेट्रोल पम्प/सीएनजी पम्प से है जो सामान्यतः 24 खण्टे खुलती हैं।

(4)– **रेस्टोरेन्ट–** बफर व कैन्टोनमेन्ट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेन्ट हेतु (प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक) मात्र होम डिलीवरी अनुमन्य रहेगी तथा निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा:–

(i) ग्राहकों को दुकान से बिक्री(टेक–अवे) भी अनुमन्य नहीं होगी। मात्र होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

(ii) रसोई एवं होम डिलीवरी हेतु पैकिंग एरिया में एक माह बैक–अप की व्यवस्था सहित अनिवार्यतः सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा।

(iii) खाना बनाने में तथा होम डिलीवरी पैकेट तैयार करने एवं डिलीवरी करने वाले सभी कर्मी अनिवार्य रूप से फेस–मास्क, हेड कवर, शू–कवर तथा दस्ताने पहनेंगे।

(iv) किसी भी प्रकार डाइनिंग ऐरिया में बैठाकर खिलाने की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

(v) पुराना बचा हुआ कोई भी पदार्थ अथवा रा मैटेरियल यथा–आटा, मैदा, घी, तेल, इत्यादि प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे।

(vi) नगर आयुक्त, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जाने वाले कूड़ा निस्तारण प्रकिया का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

—2

Scanned by CamScanner

(vii) सभी कर्मचारियों का नियमित रूप से थर्मल स्कैनिंग कराएंगे और कोविड का कोई भी लक्षण प्रथमदृष्ट्या पाये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ कार्यालय को सूचित करेंगे।

(viii) खाद्य/पेय पदार्थों के विनिर्माण/प्रसंस्करण/भण्डारण अथवा विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत पंजीकरण/अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति/पंजीकरण की प्रति मुख्य द्वारों के पास सुलभ दशर्नीय स्थलों पर लगाना अनिवार्य है।

(ix) प्रतिष्ठान को नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर/सोडियम हाइपो क्लोराइड से सैनेटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा।

(x) साप्ताहिक बंदी के दिन खाद्य कारोबार बंद रहेगा। इस दिन प्रतिष्ठान की साफ–सफाई, सैनेटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। प्रतिष्ठान के खुलने की अवधि प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक ही होगी।

(5)– **मिठाई एवं बेकरी की दुकानें** खुलेंगी तथा सोशल–डिस्टेन्सिंग के साथ ग्राहक सामग्री क्रय कर सकेंगे। परन्तु मिठाई की दुकानों में ग्राहकों का बैठना निषिद्ध रहेगा और परिसर के सामने पटरी पर कोई सामान नहीं बेचा जायेगा तथा निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जायेगाः–

(i) होम डिलीवरी के साथ–साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए टेक–अवे बिक्री की अनुमति भी होगी, इसके लिए सभी प्रतिष्ठान एक ग्राहक रजिस्टर बनायेंगे जिसमें दुकान में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति का नाम, पता एव मोबाइल नम्बर नोट किया जायेगा। बगैर मास्क के व्यक्ति को दुकान में न प्रवेश दिया जायेगा और न ही बिक्री की जायेगी।

(ii) ग्राहक से सामान अथवा नकद लेन–देन के पहले एवं बाद में दुकानदार स्वयं सैनेटाइजर उपलब्ध करवाकर ग्राहक के हाथ सैनेटाइज करवाएंगे।

(iii) रसोंई एवं डाइनिंग एरिया में एक माह बैक–अप की व्यवस्था सहित अनिवार्यतः सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा।

(iv) मिठाई/बेकरी प्रोडक्ट बनाने में तथा होम डिलीवरी पैकेट तैयार करने एवं डिलीवरी करने वाले सभी कर्मी अनिवार्य रूप से फेस–मास्क, हेड कवर, शू–कवर तथा दस्ताने पहनेंगे।

(v) किसी भी प्रकार डाइनिंग ऐरिया में बैठाकर खिलाने की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

(vi) पुराना बचा हुआ कोई भी पदार्थ अथवा रा मैटेरियल यथा–आटा, मैदा, घी, तेल, इत्यादि प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे।

(vii) नगर आयुक्त, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जाने वाले कूड़ा निस्तारण प्रकिया का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) खाद्य/पेय पदार्थों के विनिर्माण/प्रसंस्करण/भण्डारण अथवा विकय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत पंजीकरण/अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति/पंजीकरण की प्रति मुख्य द्वारों के पास सुलभ दशर्नीय स्थलों पर लगाना अनिवार्य है।

(ix) प्रतिष्ठान को नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर/सोडियम हाइपो क्लोराइड से सैनेटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा।

–3

Scanned by CamScanner

(x) साप्ताहिक बंदी के दिन खाद्य कारोबार बंद रहेगा। इस दिन प्रतिष्ठान की साफ–सफाई, सैनेटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। प्रतिष्ठान के खुलने की अवधि प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक ही होगी।

(6) समस्त सिनेमा हाल/शापिंग मॉल/शापिंग काम्पलेक्स बन्द रहेंगे।

(7) **समस्त होटल**, जो स्वास्थ्य कर्मियों आदि के क्वारनटाइन किये जाने हेतु अथवा अधिकृत रूप से पेड क्वारनटाइन हेतु चिन्हित किये गये हैं, को छोड़कर अनिवार्यतः बन्द रहेंगे।

(8) **खेल कूद– खेल परिसर और स्टेडियम** – टहलने तथा योग तथा खिलाड़ियों के प्रैक्टिस हेतु खुले रहेंगे। (समय–प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे के मध्य)

(9) **सार्वजनिक पार्क–** जो ल0वि0प्रा0/नगर–निगम/आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, वहॉ पर कार्मिको को तैनाती की जायेगी एवं वहॉ की मानीटरिंग हेतु निगरानी समिति बनायी जायेगी। सार्वजनिक पार्क/स्टेडियम टहलने, योग हेतु प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक खुले रहेंगे। पार्क में टहलने वाले सभी लोगों को फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा और समुचित सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

थोक एवं फुटकर बाजार के सम्बन्ध में व्यवस्था

उक्त के अतिरिक्त थोक एवं फुटकर के कौन से बाजार कैन्टोनमेन्ट जोन/बफर जोन में स्थित होने के कारण 21 मई, 2020 से नहीं खोले जा सकेंगे, इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित पॉच सदस्यीय समिति जिसमें नगर मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस उपायुक्त(पश्चिमी)/औषधि निरीक्षक तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार औपचारिक निर्देश निर्गत किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत आदेश के द्वारा दिनॉक 21 मई, 2020 से जिन बाजारों/प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति (समय प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे के मध्य) होगी उसमें व्यवस्था हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश लागू होंगे –

(1)– **बाजार/दुकानें–** साप्ताहिक बन्दी के अतिरिक्त अल्टरनेट डे पर सड़क के बायें एवं दाहिनी तरफ की दुकानें एक दिन बन्द रखकर अगले दिन खोली जायेंगी। इसके लिए सम्बन्धित व्यापार मण्डल द्वारा समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी। यह व्यवस्था आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, रेस्टोरेंट/मिठाई के अतिरिक्त सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।

(2) **स्ट्रीट वेन्डर–** इस व्यवस्था हेतु नगर आयुक्त, लखनऊ को अधिकृत किया गया है।

—4

Scanned by CamScanner

(3) **नर्सिंग होम/निजी अस्पताल–** इस व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को अधिकृत किया गया है।

(4) **प्रिन्टिंग प्रेस/ड्राई क्लीनर्स** की दुकानें, कैन्टोमेंट जोन एवं बफर जोन को छोडकर अन्य जगह खुलेंगी। सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से फेस मास्क व ग्लब्स का प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन सुबह–सायं दुकानों को सैनेटाइज किया जायेगा।

(5) **सैलून** मात्र हेयर कटिंग के लिए खोले जा सकेंगे। एक समय मे सामान्यतः केवल एक ग्राहक की अनुमति होगी तथा हेयर कटिंग करने वाला व्यक्ति हेड कवर, फेस मास्क, शू कवर, दस्ताने के अतिरिक्त फेस शील्ड का भी प्रयोग करेगा। दस्ताने प्रत्येक ग्राहक को सेवा देने के बाद बदल दिये जायेंगे। सभी सैलून ग्राहक रजिस्टर बनायेंगे जिसमें दुकान में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर नोट किया जायेगा। बगैर मास्क के व्यक्ति को दुकान में न प्रवेश दिया जायेगा और न ही सेवा दी जायेगी।

सामान्य अनुदेश

(6) **सभी दुकानदार** क्रय के पूर्व व उसके बाद सैनेटाइजर का प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी केता मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।

(7) **सभी दुकानों** पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने हेतु होर्डिंग्स/फ्लैक्स लगाया जायेगा तथा यथा संभव सभी क्रेताओं से यह पूछा जायेगा कि इसे डाउनलोड कर लिया गया है अथवा नहीं?

(8) **प्रत्येक मार्केट** सप्ताह में एक दिन(इसमें सम्मिलित सभी दुकानें) अनिवार्य रूप से बन्द रहेंगे और उसी दिन नगर–निगम समबन्धित स्थानीय निकाय द्वारा वहां के व्यापार मण्डल के साथ सामंजस्य स्थापित कर उस मार्केट का सैनेटाइजेशन कार्य किया जायेगा।

(9) समस्त प्रतिष्ठान/सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु निर्गत निर्देशों का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या– 406/ओ0एस0डी0/2020 दिनांकः 19 मई, 2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2– पुलिस आयुक्त, लखनऊ(नगर), लखनऊ।
3– मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4– पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), लखनऊ।

Scanned by CamScanner

5– नगर आयुक्त, लखनऊ।

6– समस्त अपर जिलाधिकारी, लखनऊ।

7– अपर पुलिस उपायुक्त(पश्चिमी), लखनऊ।

8– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

9– मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।

10– अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ।

11– औषधि निरीक्षक, लखनऊ।

12– अध्यक्ष एवं महामंत्री, व्यापार मण्डल, लखनऊ।

13– उप निदेशक, सूचना, लखनऊ को पांच प्रतियों में सभी स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

Scanned by CamScanner